सीएसआईआर- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी – 333 031 (राजस्थान)

सं. CoAoffice/CBP-iGOT/09/26(2) दिनांक 04/11/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: POSH अधिनियम, 2013 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने एवं iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर POSH प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करने के संबंध में।

सीएसआईआर मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 17-02(Reports)/2023-HR-III दिनांक 03.11.2026 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, संस्थान के समस्त स्थायी एवं अस्थायी कार्मिकों, विशेष रूप से ऐसे परियोजना/अस्थायी कार्मिकों, जिनमें JRFs, SRFs एवं Project Associates भी शामिल हैं, के लिए दिनांक 05.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मुख्य सभागार में एक सामूहिक POSH जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध POSH संबंधी जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके माध्यम से कार्मिकों को POSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रतिषेध, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, आंतरिक समिति (Internal Committee) की भूमिका एवं कार्यों तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध POSH प्रशिक्षण मॉड्यूल अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा, ताकि 100% प्रशिक्षण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

सभी अनुभागाध्यक्षों/समूहाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे उक्त कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण संबंधी निर्देशों को अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के संज्ञान में लाएँ तथा आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें।

मधुरंजन 4.11.2026
(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

संलग्न: - यथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अध्यक्ष एवं आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सभी सदस्य।
2. निदेशक कार्यालय, सीएसआईआर-सीईईआरआई।
3. संस्थान के सभी सूचना पट्टों एवं आंतरिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. AcSIR समन्वयक।
5. अनुभाग अधिकारी (सामान्य) – संविदात्मक कार्मिकों को सूचित करने हेतु।
6. सभी प्रधान अन्वेषकों (Principal Investigators) को अपने अधीन कार्यरत शोधार्थियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराने हेतु।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 17-02(Reports)/2023-HR-III Dated 03/11/2026

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में: सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
To : The Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts./Units

विषय : iGOT कर्मयोगी POSH मॉड्यूल के अंतर्गत 100% प्रशिक्षण कवरेज सुनिश्चित करने, संविदात्मक कार्मिकों हेतु POSH जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के संबंध में।

Subject: Ensuring 100% coverage under iGOT Karmayogi POSH Module, conducting POSH awareness programmes for contractual staff and expeditious disposal of pending cases – reg.

संदर्भ: सीएसआईआर का कार्यालय ज्ञापन सं. 17.02(Reports)/2023-HR-III, दिनांक 21.07.2026

Ref. CSIR OM no. 17.02(Reports)/2023-HR-III, dated 21.07.2026

महोदया/महोदय, Madam/Sir,

उपर्युक्त संदर्भित CSIR पत्र के संदर्भ में, मुझे आपका ध्यान कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन को सुदृढ़ करने तथा CSIR की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों में संबंधित क्षमता निर्माण एवं जागरूकता संबंधी पहलों को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है।

With reference to the CSIR letter cited above, I am directed to draw your attention to the need for strengthening compliance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and the related capacity-building and awareness initiatives across all CSIR Laboratories/Institutes.

इस संबंध में, आवश्यक कार्रवाई एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों को पुनः दोहराया जाता है:

1. iGOT कर्मयोगी POSH मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करना : CSIR की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासन प्रमुख (वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी) यह सुनिश्चित करने के लिए लक्षित अभियान चलाएँगे कि सभी कार्मिक iGOT कर्मयोगी POSH प्रशिक्षण मॉड्यूल को पूर्ण करें तथा 100% प्रशिक्षण कवरेज सुनिश्चित किया जाए।

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788 Website : http://www.csir.res.in

प्रशिक्षण पूर्ण करने की स्थिति की निगरानी प्रशासन प्रमुख के स्तर पर की जाएगी तथा सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

In this regard, the following instructions are reiterated for necessary action and strict compliance:

1. Completion of iGOT Karmayogi POSH Module : The Heads of Administration (Sr. CoA/CoA/AO) of all CSIR Laboratories/Institutes shall undertake targeted completion drives to ensure that **100% of the staff complete the iGOT Karmayogi POSH training module**. The status of completion shall be monitored at the level of the Head of Administration, and all necessary steps shall be taken to achieve full coverage of the staff.

2. संविदात्मक कार्मिकों के लिए POSH जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन: यह देखा गया है कि CSIR की कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा श्रम दिवस के अवसर पर संविदात्मक कार्मिकों के लिए अनिवार्य POSH जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। ऐसी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे लंबित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन वर्तमान माह के दौरान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से संविदात्मक कार्मिकों को POSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रतिषेध, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, आंतरिक समिति (IC) की भूमिका एवं कार्यों तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के संबंध में जागरूक किया जाए। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाए कि संविदात्मक कार्मिकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो तथा उनमें आवश्यक जागरूकता विकसित हो।

2. Conduct of POSH Awareness Programme for Contractual Staff : It has been observed that certain CSIR Laboratories/Institutes have not conducted the mandatory POSH awareness programme for contractual staff on the occasion of Labour Day. Such Laboratories/Institutes are hereby directed to **conduct the pending awareness programme during the current month without fail**.

The programme shall sensitise contractual staff regarding the provisions of the POSH Act, 2013, the prevention and prohibition of sexual harassment at the workplace, the procedure for reporting complaints, the role and functions of the Internal Committee (IC), and the available redressal mechanisms. The programme should be suitably designed to ensure effective participation and awareness among the contractual workforce.

3. 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण : CSIR की सभी प्रयोगशालाओं/ संस्थानों की आंतरिक समितियों (ICs) को निर्देशित किया जाता है कि वे लंबित शिकायतों की तत्काल समीक्षा करें तथा उन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जिनमें कार्यवाही 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है।

संबंधित आंतरिक समितियाँ विलंब के कारणों की समीक्षा करें तथा POSH अधिनियम, 2013 और लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँ। विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान दिया जाए, जिनमें बाह्य सदस्यों की अनुपलब्धता अथवा उनकी यात्रा संबंधी आवश्यकताओं के कारण विलंब हुआ है। ऐसे विलंब को न्यूनतम करने के लिए, जहाँ व्यावहारिक एवं उपयुक्त हो, लागू नियमों तथा प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, गोपनीयता और सभी संबंधित पक्षों की प्रभावी भागीदारी की आवश्यकताओं के अधीन, हाइब्रिड अथवा ऑनलाइन माध्यम से कार्यवाही की जा सकती है।

प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख ऐसे मामलों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेंगे तथा आंतरिक समितियों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएँगे। तथापि, इस प्रक्रिया में आंतरिक समितियों के स्वतंत्र कार्यकरण अथवा कार्यवाही की गोपनीयता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

3. Expeditious Disposal of Pending Cases Beyond 90 Days : All Internal Committees (ICs) of CSIR Laboratories/Institutes are directed to undertake an immediate review of pending complaints and accord the highest priority to cases in which the proceedings have remained pending beyond 90 days.

The concerned ICs shall examine the reasons for the delay and take all necessary steps to expedite the proceedings in accordance with the provisions of the POSH Act, 2013, and the applicable rules. Particular attention shall be given to cases where delays have arisen due to the non-availability or travel requirements of external members. To minimise such delays, **hybrid or online proceedings may be adopted, wherever feasible and appropriate**, subject to applicable rules and the requirements of procedural fairness, confidentiality and effective participation of all concerned.

The Directors/Heads of Laboratories/Institutes shall review the status of such cases periodically and extend the necessary administrative support to the ICs, without interfering with their independent functioning or the confidentiality of the proceedings.

उपर्युक्त उल्लिखित तीनों बिंदुओं को शामिल करते हुए, संबंधित स्थिति एवं सहायक विवरणों सहित कृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report–ATR), सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही की त्रैमासिक POSH अनुपालन रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में CSIR मुख्यालय को प्रस्तुत की जाए।

An **Action Taken Report (ATR)** covering all the three points mentioned above, along with the relevant status and supporting details, shall be furnished to CSIR Headquarters, as an Annexure to the Quarterly POSH Compliance Report for the Quarter ending September, 2026.

भवदीय/Yours faithfully

3/11/25

(अजय कुमार राठी)/ (Ajay Kumar Rathi)
अवर सचिव (मानव संसाधन-III)/ Under Secretary (HR-III)

प्रतिलिपि / Copy to:
1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
2) कार्यालय प्रति /Office copy.